

नम्बर
अहक
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी :- गडीपालसिंह, आर०ए०एरा०

मुकदमा संख्या :- 178/2020 9A097

1- सिराज मोहम्मद पि० फतेह खां मुसलमान पि० वीररीया खेड़ा-हल्का करेडा -प्रार्थी।
वनाम

1- पीर खां 56 अजीज खां मुसलमान पि० वीररीया खेड़ा-हल्का करेडा -पि० विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 16/3/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० मू०. राज० अधि० 1956 तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोरखवा पटवार हल्का गोरखवा मू०अ०नि० क्षेत्र गोरखवा में उनके खाता संख्या 58 की आ०नं० 4591/130 रकबा ९.०० बीघा

स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के अध्यक्ष आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगटी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26/10/20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कच्चे काश्त की होने से पत्थरगटी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हंरा-फंरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोरखवा पटवार हल्का गोरखवा मू०अ०नि० क्षेत्र गोरखवा में उनके खाता संख्या 58 की आराजी नम्बर 4591/130 रकबा ९.०० बीघा

भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगटी किये जाने हेतु भू अ०नि० गोरखवा को 450/1-रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा कराये। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में गौके व कच्चे की यथारिथति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगटी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगटी नहीं की जायें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखंड अधिकारी प्रदीप
सहायक क्लर्क
करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- सहरीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगटी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवरा में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी प्रदीप
सहायक क्लर्क
करेडा जिला भीलवाडा